203

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. /16—17 निगरानी PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4403

संजय व्यास पिता स्व. पुरूषोत्तम व्यास,
आयु—50 वर्ष,
जाति—ब्राहमण, धंधा—कृषि एवं व्यापार,
निवासी—10 मानसी कॉलोनी, भोपाल म. प्र.
.... आवेदक

विरूद्ध

श्री राजपाल सिंह वकील द्वारा कैम्प उज्जैन में प्रस्तुत 26/10/17

1. शैलेन्द्र कुमार पण्ड्या पिता स्व. चन्द्रशेखर पण्डया,
आयु—60 वर्ष, धंधा—कृषि,
निवासी—भागसीपुरा, छप्पन भैरू की गली,
उज्जैन

2. राजेन्द्रकुमार पण्ड्या पिता स्व. चन्द्रशेखर पण्डया,
आयु—57 वर्ष, धंधा—
निवासी—भागसीपुरा, छप्पन भैरू की गली,
उज्जैन
.... अनावेदक

24-11-17

विषय :— अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 68/अ—6/15—16 में पारित आदेश दिनांक 7—10—2017 से असंतुष्ट होकर निगरानी धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत :—

मान्यवर महोदय—

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :—

—संक्षिप्त तथ्य—

1. यह कि अनावेदकगण द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 109, 110 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 6 रकबा 0.83 आरे स्थित ग्राम चन्देसरी तहसील व जिला उज्जैन में स्थित है। उक्त भूमि स्व. चन्द्रशेखर पड्या व स्व. गुलाबबाइ पड्या के नाम की है। यह भी उल्लेख किया गया कि गुलाबबाई का कोई वारिस नही होने के कारण आवेदकगण का नाम उक्त भूमि पर इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदकगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह कही भी उल्लेख नही किया गया कि अनावेदकगण किस रिश्तदारी के आधार पर व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के किन प्रावधानो के अन्तर्गत स्व. गुलाबबाई की संपत्ति के स्वामी बने, वास्तविक्ता में प्रत्यर्थी अनावेदकगण गुलाबबाई के वास्तविक उत्तराधिकारी नही

XXIX(a)-BR(H)-11

203

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4403

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह वैस उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	